न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— श्री अमित कुमार मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
109/2021	22.06.2021	12/6/2025

राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व. रंगलाल, जाटव निवासी ग्राम मौहचा का पुरा तह0 वजीरपुर
——प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तहसील वजीरपुर ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :— श्री दानसिंह मीना, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी ग्राम मोहचा का पुरा का रहने वाला है। प्रार्थी का नाम स्कूल प्रमाण पत्रों एवं आधार कार्ड, परिचय पत्र व प्रार्थी के जाति व मूल निवासी प्रमाण पत्र मे राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व. रंगलाल, जाटव अंकित है। जबकि राजस्व रिकार्ड हाल जमाबंदी मे प्रार्थी का नाम जमाबंदी संवत 2072—75 मे राजू नाम अंकित है। प्रार्थी के पिताजी की मृतयु सन 1983 मे हो चुकी है तब से प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम अशुद्ध चला आ रहा है। इस सम्बन्ध मे प्रार्थी अपने नाम मे शुद्धि हेतु तहसीलदार से दिनांक 10.6.21 को मिला तो तहसीलदार जी ने धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत नाम शुद्ध कराने हेतु आपके यहॉ प्रार्थना प्रत्र प्रस्तुत करने को कहा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी खातेदारी एवं सहखातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 427 रकबा 0.40 है0, खसरा नम्बर 447 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 281 रकबा 0.65 है0, ख0न0 282 रकबा 0.02 है0, ख0न0 283 रकबा 0.66 है0, ख0न0 289 रकबा 0.30 है0 ग्राम मोहचा का पुरा तह0 वजीरपुर में प्रार्थी का नाम राजू व राजूलाल के स्थान पर राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व. रंगलाल करने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी राशन कार्ड, फोटोकोपी आधार कार्ड, फोटोकोपी मतदाता पहचान पत्र, फोटोकोपी मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत मौहचा का प्रमाण पत्र, नकल जमाबंदी संवत 2076—79 खाता संख्या 162, 206 ग्राम मौहचा का पुरा प्रस्तुत की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथी को तलब किया गया एवं तहसीलदार वजीरपुर से रिपोर्ट चाही गई।

अप्रार्थी तहसीलदार वजीरपुर की ओर से उनके पत्र क्रमांक भू0अ0/2024/697 दिनांक 7.8.2024 द्वारा रिपोर्ट भिजवाई गई है। रिपोर्ट में तहसीलदार वजीरपुर ने अंकित किया है कि ग्राम मोहचा का पुरा की जमाबंदी संवत 2076—79 के खाता संख्या 162 मे राजू पुत्र रंगलाल दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, बैकपासबुक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हायरसैकण्डरी की अंकतालिका मे प्रार्थी का नाम राजेन्द्र सिंह जाटव पुत्र

रंगलाल अंकित है। मुताबिक गामवासियो एवं मौका जॉच के अनुसार राजू, राजेन्द्र पुत्र रंगलाल एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः मुताबिक दस्तावेजों व जॉच रिपोर्ट के प्रार्थी का नाम राजेन्द्रसिंह राजस्व रिकार्ड मे शुद्ध किया जाना उचित है।

रिपोर्ट के साथ तहसीलदार वजीरपुर ने पटवारी हलका मौहचा की मूल रिपोर्ट, फर्द मौका दिनांक 25.7.2024 आदि प्रस्तुत किए हैं।

बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थिया के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तहसीलदार वजीरपुर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करवाए जाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट का तहसीलदार वजीरपुर की ओर से जो जबाब प्रस्तुत किया गया है उसमें प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अनुसार राजस्व अभिलेख में शुद्धि किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अभिलेख व तहसीलदार वजीरपुर के जबाब के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं भूमि खसरा नम्बर 427 रकबा 0.40 है0, खसरा नम्बर 447 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 281 रकबा 0.65 है0, ख0न0 282 रकबा 0.02 है0, ख0न0 283 रकबा 0.66 है0, ख0न0 289 रकबा 0.30 है0 ग्राम मोहचा का पुरा तह0 वजीरपुर की जमाबंदी सं0 2076 से 2079 खाता संख्या 162, 206 में दर्ज वर्तमान नाम राजू पुत्र रंगलाल एवं राजूलाल पुत्र रंगलाल के स्थान पर राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 रंगलाल सा0देह खातेदार दर्ज करने का एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में शुद्धि करने का आदेश दिया जाता है। इन खातों में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की सत्य–प्रतिलिपि तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/6/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमित कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (स०मा०)